आदेश

02.05.2026 परिवाद पत्र संख्या–1443सी/2022, जो भा0द0वि0 की धारा 420, 467, 468, 469, 120बी, 323, 504 सभी सपठित धारा 34 से संबंधित है, के आवेदक अभियुक्तगण **1. वीणा भारती** उम्र करीब 42 वर्ष, पति–दिलीप झा, **2. दिलीप झा,** उम्र करीब 66 वर्ष, पिता–स्व0 दरोगा झा, **3. विनोदानंद झा,** उम्र 76 वर्ष पिता–स्व0 दरोगा झा, तीनों निवासी ग्राम–दिग्घी, थाना–लक्ष्मीपुर जिला–जमुई की ओर से भारतीय नागरीक सुरक्षा सहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

परिवाद पत्र के अनुसार अभियोजन कथानक सार रूप से यह है कि छत्रधारी मंडर (परिवादी के पर बाबा) के पांच पुत्र भुनेश्वर झा, अखिलेश्वर झा, स्व0 दरोगा झा, स्व0 चुन्नी लाल झा, स्व0 मुन्नी लाल झा थे। परिवादी के हिस्से की जमीन दिलीप कुमार झा ने अपनी पत्नी वीणा देवी को खाता संख्या 31, खेसरा 782 मे 2.5 डिसमिल, खेसरा 787 में 6 डिसमिल, खेसरा 85 में 3 डिसमिल जमीन जाल–साज के तहत दान कर दिया। उस दान पत्र में विनोद नंद झा, दिलीप कुमार झा, उनके गवाह बने। उस जमीन का दान करने का कोई हक दिलीप कुमार झा का नही था। दान पत्र की जानकारी होने पर रजिस्ट्री ऑफिस जाकर नकल निकाला और इसकी शिकायत अभियुक्तगण से किया तो अभियुक्तगण ने धमकी दिया और गाली–गलौज किया तथा उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसे आर्थिक क्षति और मानसिक प्रताड़ना पहुंचाने एवं जमीन हड़पने के लिये यह जाल साजी की है।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में स्वीकार किया है कि आवेदक अभियुक्त सं0–2 के विरूद्ध जी0आर0 नं0 2168/2018, जी0आर0 नं0 3627/2018 एवं अभियुक्त सं0 3 के विरूद्ध जी0आर0 2168/2018 लंबित है तथा अभियुक्त सं0–1 का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया है कि अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्होंने ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया है कि परिवादी के सशपथ बयान (S.A) के अवलोकन से विदित होता है कि भूमि से संबंधित विवाद दीवानी मामले के अंतर्गत आता है ना कि आपराधिक मामले के।

जमानत आवेदन में आगे कथन किया है कि परिवादी ने झूठी कहानी के आधार पर यह झूठा परिवाद दाखिल किया है। वास्तविकता यह है कि उसी वर्ष परिवादी एवं इस परिवाद पत्र के साक्षियों ने अपनी पत्नियों के पक्ष में भूमि विवाद के कारण दान विलेख निष्पादित किया। मूल रूप से यह मामला आपराधिक परिवाद विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने भा0द0वि0 की धारा–323 एवं 504 के अंतर्गत दंडनीय अभियोग के लिए आवेदक अभियुक्तों को समन किया था, किंतु पुनरीक्षण में (Revision) में पारित आदेश के आलोक में विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने पुनः आदेश (Fresh order) पारित करे। इस आपराधिक परिवाद पत्र पर जांच साक्ष्य के आधार पर आवेदक अभियुक्तगण भा0द0वि0 की धारा 420 बैगरह के लिए समन किया। आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधारों पर आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया है।

मैंने अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला आपराधिक परिवाद पत्र पर आधारित है। यह मूल आपराधिक परिवाद 1338सी/2021 दं0प्र0सं0 की धारा 156(3) के अंतर्गत विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने दिनांक–29.11.2021 को कांड अंकित करने एवं अनुसंधान हेतु संबंधित थाने को प्रेषित किया। पुलिस ने अनुसंधानोपरांत अन्तिम प्रतिवेदन (Final form) विवाद को व्यवहार प्रकृति का दर्शाता, में समर्पित किया। परिवादी ने इस अन्तिम प्रतिवेदन (Final form) के विरूद्ध विरोध सह परिवाद पत्र दाखिल किया, जिसमें परिवाद पत्र सं0–1443सी/2022 के रूप में जांच हुई तथा जांचोपरांत विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने दिनांक–30.10.2023 के आदेश द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 323 एवं 504 दोनों सपठित धारा 34 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का प्रथम दृष्टया मामला हुआ पाया तथा अभियुक्तों को समन किया गया, किंतु इस समन के आदेश असंतुष्ट होकर परिवादी ने पुनरीक्षण सत्र न्यायालय में दाखिल किया। पुनरीक्षण में यह आदेश हुआ कि विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी का आदेश दिनांक–30.10.2023 निरस्त किया जाता है तथा विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी को नया आदेश (Fresh order) करने का निर्देश हुआ। इस आदेश के आधार पर विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने इसी सामग्री के आधार पर विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी ने दिनांक–24.02.2026 के आदेश द्वारा अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा 420, 467, 468, 469, 120(B), 323 एवं 504 के अपराध के अभियोग के लिए समन किया। यहां

उल्लेखनीय पूर्व में इस मामले में सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान की गयी थी। मेरे विचार से सिर्फ धाराओं के बढ जाने मात्र से जमानत से इंकार करना न्यायोचित नहीं है। अतः आवेदक अभियुक्त की ओर से दस हजार के दो प्रतिभुओं से समर्थित बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

प्रति अग्रसारितः– विद्वान न्यायालय श्रीमति कंचन रानी, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम्
व्यवहार न्यायालय, जमुई।

vLex Copy